जनपद–बरेली में वायुसेना बेस पर प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के विकास के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानो, के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु दिनांक 21.02.18 को स्थल वायुसेना बेस, बरेली में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इज्जतनगर, बरेली एयरफोर्स बेस के बाहर, प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के विकास का प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 43.75 एकड भूमि आवश्यक भूमि विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी है। जिसमें दो ए0टी0आर0 72 प्रकार के विमानों के लिए एप्रोन निर्माण, लिंक टैक्सी ट्रेक और आई0एम0जी0 मानकों के अनुसार 150 यात्रियों के लिए (75 आगमन और 75 प्रस्थान) टर्मिनल भवन साथ ही 75 कारो के लिए पार्किंग का प्रावधान है।

उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय में आवेदन किया गया है। पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी लोक सुनवाई अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत लोक सुनवाई हेतु आम सूचना उक्त प्रस्तावित उद्योग में प्रचलित विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों कमशः हिन्दुस्तान (हिन्दी संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाईम्स (अंग्रेजी संस्करण) में दिनांक 20.01.18 एवं दिनांक 21.01.18 के संस्करण में जिला प्रशासन बरेली द्वारा निर्धारित लोक सुनवाई का समय, तिथि व स्थान के साथ प्रकाशन कराया गया था, जो कि संलग्नक–1 एवं 2 पर संलग्न है।

उक्त परियोजना के क्षमता विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव/निष्पादन सार, जिलाधिकारी बरेली कार्यालय, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र, बरेली, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली, पर्यावरण निदेशालय विनीत खण्ड गोमतीनगर लखनऊ, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ के कार्यालय में जन सामान्य के अवलोकनार्थ संरक्षित रखाये गये थे। लोक सुनवाई से पूर्व प्रस्तावित उद्योग के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव सम्बन्धित कार्यालयो में प्राप्त नही हुई है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित स्थल पर लोक सुनवाई की प्रक्रिया में अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, बरेली द्वारा नामित मंचासीन श्री सुल्तान अशरफ सिद्दकी, एस0एल0ए0ओ0 महोदय, बरेली की अनुमति से प्रारम्भ की गयी। लोक सुनवाई हेतु गठित पैनल के सदस्यो

के अतिरिक्त प्रस्तावित परियोजना के आस–पास क्षेत्र के जन सामान्य भी उपस्थित थे, जिसकी उपस्थिति संलग्न है (संलग्नंक–3)

प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा सर्व प्रथम लोक सुनवाई हेतु उपस्थित पैनल के सदस्यों एवं आस–पास के जन सामान्य का स्वागत किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली द्वारा पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09. 2006 के अन्तर्गत निर्धारित लोक सुनवाई की प्रकिया का उद्देश्य उपस्थितगण को अवगत कराया गया।

तदोपरान्त प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, पर्यावरणीय प्रभाव आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण आदि की जानकारी प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि/ परियोजना के पर्यावरण परामर्शी द्वारा दी गयी। प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण परामर्शी द्वारा उद्योग के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने उक्त परियोजना के पर्यावरण परामर्शी से कहा कि "प्रस्तावित परियोजना के विस्तार के सम्बन्ध में जो स्लाइड बनाई है, उसको उपस्थित किसानों एवं जन सामान्य को पुनः प्रदर्शित की जाये" उपस्थित जन सामान्य को प्रोजेक्टर द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में स्लाइड प्रदर्शित की गयी। उक्त स्लाइड्स प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी से सम्बन्धित थी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा भी परियोजना की क्षमता विस्तार के सम्बन्ध में भी उपस्थित जन सामान्य एवं किसानों को सम्बोधित किया गया।

लोक सुनवाई में उपस्थित क्षेत्रीय जन सामान्य एवं किसानों को उनके प्रश्न एवं आवश्यक सुझावों हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली द्वारा आमंत्रित किया गया। लोक सुनवाई स्थल पर उपस्थित क्षेत्रीय जन सामान्य एवं किसानों द्वारा पूछे गये प्रश्नों एवं सम्बन्धित द्वारा उक्त प्रश्नों का प्रस्तुत उत्तर का विवरण तालिका में निम्नवत् है–

क0सं0	प्रश्नकर्ता का नाम व पता	प्रश्न	उत्तर
1.	श्री हाफिज रजा खां, निवासी ग्राम–गौटियां, बरेली	क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा?	परियोजना के पर्यावरण परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि हवाई यात्रा हेतु टर्मिनल बिल्डिंग (तीन तल) की स्थापना तथा लैण्डस्केपिंग कार्य हेतु

			कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगें। जिसमें स्थानीय लोगों को कार्यकुशलता एवं निर्धारित अहर्ता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे।
2.	श्री नत्थू लाल निवासी ग्राम–चावड़, बरेली	क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा?	परियोजना के पर्यावरण परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार में वरियता प्रदान की जायेंगी।
3.	श्रीमती सरोज देवी ग्राम–चावड़, बरेली	क्या हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा?	परियोजना के पर्यावरण परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि रोजगार संविदा के आधार पर ही दिये जायेंगे।
4	श्री रामचन्द्र प्रकाश, राजस्व निरीक्षक, नबावगंज, बरेली।	इन हवाई जहाज की इतनी तेज आवाज से हमारे बच्चे रात में नींद से जाग जाते है, क्या ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हो सकेगा?	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वायुसेना के लड़ाकू विमानों की अपेक्षा नागरिक विमानों के संचालन से जनित ध्वनि तीव्रता अपेक्षाकृत बहुत कम होती है तथा विमानों के लैण्डिंग तथा टेक ऑफ के समय ही क्षणिक मात्र की ध्वनि जनित होती है। उक्त विमानों का संचालन केवल दिन में किया जाना ही अवगत कराया गया।
5	श्री अजय सिंह, ग्राम चावड़, बरेली।	कौन–कौन सी नौकरी प्रदान की जायेगी?	शैक्षिक योग्यता के आधार पर संविदा हेतु 15 से 20 श्रेणी में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जिसमें माली, ग्राउन्ड स्टाफ, सुपरवाईजर, टर्मिनल सहायक तथा एयरहोस्टेस इत्यादि के पद रोजगार के रूप में सृजन होंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों से प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव परियोजना के चौहद्दी के बाहर स्थित जमीन के आवासीय योजना हेतु क्रय–विक्रय तथा निर्माणित भवनों की ऊचांई के सम्बन्ध में जिज्ञासा व्यक्त की गयी। जिस पर विमान अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित स्थल पर वायु सेना की अनुमति के उपरान्त दो से तीन तल तक (भवनों) का निर्माण किया जा सकता है। एयरपोर्ट ऑथारिटी ऑफ इण्डिया (ए0ए0आई0) द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषणकारी गतिविधियों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए

निर्माण कार्य में प्रयुक्त हॉटमिक्स एवं आर.एम.सी. प्लाण्ट आदि की स्थापना ए0ए0आई0 द्वारा निर्धारित क्षेत्र से बाहर की जाये एवं टैक्सी वे के लिये वॉछित 7.0 एकड भूमि का अधिग्रहण यथाशीघ्र करते हुये एयरपोर्ट एथॉरिटी को उपलब्ध क राई जाये, इस शर्त के साथ जन–मानस द्वारा प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के स्थापना/विकास के लिए हर्ष जताते हुए ध्वनि मत के साथ स्वीकृति व्यक्त की गयी।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति में लोक सुनवाई का समापन कराने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानीय जनमानस की राय के अनुसार सिविल एन्क्लेव के स्थापना/विकास के लिए समर्थन करते हुये तथा उपस्थित नागरिकों को धन्यवाद करते हुये लोक सुनवाई की प्रकिया समाप्त करने की उदघोषणा की गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बरेली

एस0एल0ए0ओ0
बरेली

संलग्नक - 1

हिन्दुस्तान 08
बरेली • शनिवार • 20 जनवरी 2018

उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : 1219/1, ई-ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली-243 122

पत्रांक संख्या 1481/GEN/A-8/18 — दिनांक 19.01.2018

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बरेली उ०प्र० द्वारा बरेली एयरफोर्स बेस पर प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव परियोजना की लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल बरेली एयरफोर्स बेस पर लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुपालन में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई किया जाना आवश्यक है, इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुरूप होगी एवं उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित कार्यकारी सारांश अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में जनसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिलाधिकारी कार्यालय, बरेली।
2. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र, बरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बरेली।
4. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
5. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण एवं विशिष्ट नागरिकों को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), बरेली की अध्यक्षता में एयरफोर्स बेस में दिनांक 21.02.2018 को प्रातः 10:00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है जिसमें उपस्थित होकर कोई भी व्यक्ति अपने मौखिक या लिखित सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा कोई भी व्यक्ति क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली अथवा बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, टी०सी०-12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में सुझाव/आक्षेप प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित रूप से दे सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

दिनांक 6/2/18 को CE-07-ई मेल द्वारा प्रेषित करा दी गयी

(हस्ताक्षर)

कितनी स्पीड से निकलेगी ? हाल में जाने लगी है।

उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : 1219/1, ई-ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली-243 122

[illegible]ख्या : 1481/GEN/A-3/18

दिनांक : 19.01.2018

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोंक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उद्योग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बरेली उ०प्र० द्वारा बरेली एयरफोर्स बेस पर प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव परियोजना की लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल बरेली एयरफोर्स बेस पर लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुपालन में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई किया जाना आवश्यक है, इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुरूप होगी एवं उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित कार्यकारी सार[illegible]अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में जनसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला[illegible]कार्यालय, बरेली।
2. [illegible] उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र, बरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली
4. [illegible]निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
5. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, टी०सी०-12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण एवं विशिष्ट नागरिकों को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), बरेली की अध्यक्षता में एयरफोर्स बेस में दिनांक 21.02.2018 को प्रातः 10:00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है जिसमें उपस्थित होकर कोई भी व्यक्ति अपने मौखिक या लिखित सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा कोई भी व्यक्ति क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली अथवा बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, टी०सी०-12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में सुझाव/आक्षेप प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित रूप से दे सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक-2

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office : 219/1 ... Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

पत्रांक संख्या : 1481/GEN/A-3/18

दिनांक : 19.01.2018

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उद्योग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बरेली उ०प्र०
द्वारा बरेली एयरफोर्स बेस पर प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव परियोजना की लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल
बरेली एयरफोर्स बेस पर लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया
गया है, जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या
एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुपालन में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व लोक
सुनवाई किया जाना आवश्यक है, इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव
हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय
अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुरूप होगी एवं उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित
कार्यकारी सारांश अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में जनसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिलाधिकारी कार्यालय, ...
2. आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र, बरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।
4. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
5. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, टी०सी०-12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण एवं विशिष्ट नागरिकों को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है
कि अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), बरेली की अध्यक्षता में एयरफोर्स बेस में दिनांक 21.02.2018 को
प्रातः 10:00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है जिसमें उपस्थित होकर कोई भी
व्यक्ति अपने मौखिक या लिखित सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा कोई भी व्यक्ति क्षेत्रीय
कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली अथवा बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण भवन, टी०सी०-12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में सुझाव/आक्षेप प्रकाशन की तिथि
से 30 दिन के अन्दर लिखित रूप से दे सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय ... वन ... पूर्वी ... प्रभाग, ह...

पत्रांक : 2276/4-1

WALK-IN INTERVIEW

दिनांक : ह...

Phone & Fax: 0581-2535299

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालयः 1219/1, ई–ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली–243 122
U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: 1219/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

सन्दर्भ संख्याः 1481 /GEN/A-3 /18 दिनांक 19-1-2018

सेवा में,

सम्पादक महोदय,
दैनिक जागरण / हिन्दुस्तान टाइम्स / हिन्दुस्तान
बरेली।

विषयः– प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, पत्र के साथ संलग्न प्रेस विज्ञप्ति को दिनांक 20 जनवरी, 2018 के दैनिक समाचार पत्र में बरेली मण्डल के सभी संस्करण में (साइज ०९ सेन्टीमीटर × १० सेन्टीमीटर अथवा जो भी न्यूनतम हो) डी0ए0वी0पी0 की दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0के0 चौधरी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत–7) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19/01/18

क्षेत्रीय अधिकारी

Latter with pad111111

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः 1219/1, ई–ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली–243 122

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: 1219/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

<u>पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोंक सुनवाई के लिये आम सूचना</u>

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि उद्योग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बरेली उ0प्र0 द्वारा बरेली एयरफोर्स बेस पर प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव परियोजना की लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल बरेली एयरफोर्स बेस पर लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुपालन में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई किया जाना आवश्यक है, इस सूचना के अर्न्तगत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुरूप होगी एवं उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित कार्यकारी सारांश अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में जनसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिलाधिकारी कार्यालय, बरेली।
2. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र, बरेली ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।
4. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड–1, गोमती नगर, लखनऊ।
5. उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, टी0 सी0–12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण एवं विशिष्ट नागरिकों को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बरेली की अध्यक्षता में एयरफोर्स बेस में दिनांक 21.02.2018 को प्रातः 10.00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है जिसमें उपस्थित होकर कोई भी व्यक्ति अपने मौखिक या लिखित सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा कोई भी व्यक्ति क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली अथवा बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, टी0 सी0–12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में सुझाव/आक्षेप प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित रूप से दे सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी